


.....(1).....जीवाशासक जीवाशासक कोरा. वनाम. (1).....जीवाशासक जीवाशासक (2).....साया पजीनी
 (3) जारी जाय नि. सीलामठा तहसिल गुडामालानी
 जारी जाय नि. सीलामठा तहसिल गुडामालानी

किस्म मुकदमा राजस्थान ता. अधि. मुकदमा नम्बर.....1317/19.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/11/19	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री राजेश कुमार.....</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 209, 183.....राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलय होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 5/12/19.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर गुडामालानी</p>	
27/12/19	<p>वादीगण वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनु. वादीगण वकील सम्मन तलयाना पेश कर सम्मन पेश होने पर जारी हो आश-दी पत्रावली दिनांक 27/12/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर गुडामालानी</p>	
24/2/20	<p>पत्रावली आज पेश हुई। एकलान्त कारण उपस्थित। आज पी. ज. महोदय दीगर आवश्यकता में व्यस्त हैं। अतः इत्तफा होकर 24/2/20 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण अनु. वादीगण वकील सम्मन तलयाना पेश करने का अवसर पहले है। सम्मन तलयाना पेश होने पर जारी हो पत्रावली दिनांक 24/2/20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी</p>	

10/10/21

पञ्जावली काज पेशा हुये। बारीगण क
 बारीगण के कदिवक्ता कहुपरिषत। पञ्जावली
 का कवलेका विद्या गया। इतलेकनु
 पञ्जावली यह तथ्य सामने काज है
 कि गुजान कवदि-लागा 2 वर्ष
 बारीगण द्वारा जतिवापगण की तलवी
 प्रक नही करवाये गये है। इसके यह
 धुनीत होला है कि बारीगण व बारीगण
 के कदिवक्ता भी कुछ इस प्रकार के
 कोठी खाचि नही रखे है मत। प्रकार तलवी
 के कमावके कादेश 9 निमत 5 CPC के
 तहत कुछ तकमील के खारिज विद्या
 जाता है पञ्जावली विद्या सुमार होकर
 एखिल इफत है।

पुनर्
 सहायक कलक्टर
 (S.D.O.) गुडामालानी